न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 62/2018 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2018/00088**

1. आदराम पुत्र सुलतान
2. महावीर पुत्र सुलतान
3. सावित्री देवी पत्नी बनवारी लाल
4. सरोज देवी पुत्री बनवारी लाल
5. जगदीश प्रसाद पुत्र बनवारी लाल
6. सुरेन्द्र पुत्र बनवारीलाल
7. कलावती पत्नी हेतराम
8. विजय कुमार पुत्र हेतराम
9. वेदप्रकाश पुत्र हेतराम
10. महेन्द्र पुत्र हेतराम
11. रणजीत पुत्र हेतराम

अकवाम जाट, निवासीगण सिंहागवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः श्री हरिराम बिश्नोई — अभिभाषक अपीलांट्स
श्री राजकीय अभिभाषक — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 02.02.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के निर्णय दिनांक 28.06.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि चक 20 एस डी एस लालगढ़ जाटान के वांशिदों द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.06.2018 उपखण्ड अधिकारी शिविर प्रभारी सादुलशहर के समक्ष चालू रास्ता को रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया। शिवर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 28.06.2018 द्वारा चक 20 एस डी एस के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मु.न. 30, 43, 47 के किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 में प्रत्येंक में 2–2 बिस्वा रास्ता जो मौका पर चल रहा था जो स्वीकार कर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के उक्त आदेश दिनांक 28.06.2018 से व्यथित होकर अपीलाट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के नर्सिगक सिद्वातों की अवहेलना कर बिना खातेदार अपीलांट्स को सुने, सुनवाई का मौका दिये मनमाने तरीके से एक ही दिन में सारी कार्यवाही कर पक्षकारों को नाटिस नही देकर उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तलब नही कर खातेदारों की भूमि में वास्तविकता से परे, मौका की एक तरफा गलत रिपोर्ट के आधार पर खातेदारी समाप्त करने हुए गैर मुनकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया वह विधि विरूद्ध है। अपीलांट्स के रकबा मु. नं. 30 में कभी भी किला नबंर 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता नही था ना ही कभी चालू था और ना ही मौका पर चल रहा था और ना ही किसी काश्तकार को इस तरफ से अपने खेत में जाने में रास्ता की आवश्यकता थी। मुरब्बा नंबर 24, 25, 32, 33, 34 के काश्तकारों को अपने खेत में जाने के किए रास्ता किला नबंर 21 ता 25 प्रत्येंक मुरब्बा में रास्ता की सुविधा है फिर भी उनके द्वारा अपने सुविधा अनुसार रास्ता की मांग की गई है अगर इन किलों में मौका में लगभग 50 वर्ष से रास्ता चल रहा होता तो फसल गिरदावरी में पूरा बीघा की जगह 18 बिस्वा रकबा का अंकन होता जबकि इन किलों की पूरी गिरदावरी है जिससे साफ जाहिर है अदालत मातहत ने बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये रास्ता स्वीकृत करने में कानूनी गलती की है। अतः अपील मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 28.06.2018 को निरस्त फरमाया जावें अन्य कोई आज्ञा जो न्याय संगत हम अपीलांट के पक्ष में प्रदान की जावें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि तहसीलदार राजस्व सादुलशहर द्वारा चालू रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत करने का प्रस्ताव राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर ग्राम पंचायत ताखरांवाली मे पेश किया गया था। उक्त प्रकरण में हल्का पटवारी एवं भू.अ.नि की रिपोर्ट द्वारा उक्त रास्ता मौके पर चालू होना व जनहित का रास्ता वताया। तहसीलदार सादुलशहर द्वारा भी उक्त रास्ता स्वीकृति की अनुशंषा की गई थी। सरपंच ग्राम पंचायत लालगढ़ जाटान ने भी उक्त रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया था। इस कारण अपील अपीलांट

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपने आदेश दिनांक 28.06.2018 ने अपीलांट्स की वादगत भूमि में से गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किए गए थे। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के रिकॉर्ड का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपीलांट्स को किसी प्रकार की सूचना, सुनवाई व सबूत पेश करने के अवसर दिये बगैर एक तरफा तौर पर मौके पर रास्ता चालू होने एवं आम जनता द्वारा उपयोग में लिये जाने के कारण को दिखाकर जो आदेश पारित कर दिया। जो न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2018 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर को उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं पूर्ण जांच कर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 02.02.2026 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

संशोधित आदेश

इस न्यायालय की पत्रावली संख्या 62/2018 एल.आर.एक्ट जीसीएमएस नंबर 2018/00088 अनवान आदराम पुत्र सुलतान वगैरह बनाम स्टेट, में अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 सीपीसी प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उपरोक्त अनवानी प्रकरण में दिनांक 02.02.2026 को निर्णय पारित किया गया हैं, जिसमें अंतिम पृष्ठ पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक "28.06.2018" की बजाय सहवन व पेन मिस्टेक से दिनांक "26.06.2018" को अपास्त करने का अंकन कर दिया गया है, जिसे संशोधन किया जाना आवश्यक है, जिससे न्यायालय के आदेश की पालना हो सके। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि पत्रावली को आज की आदेश दिनांक 02.02.2026 के अंतिम पृष्ठ पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक "26.06.2018" को संशोधित कर सही दिनांक "28.06.218" अंकित किये जाने का आदेश फरमाया जाकर मूल आदेश में संशोधन कर लाल स्याही से अंकन किये जाने के आदेश फरमावें। ***उक्त परिपेक्ष्य में उपरोक्त अनवानी अपील में इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 02.02.2026 के अंतिम पृष्ठ के बिन्दु संख्या 4 की पंक्ति संख्या 13 में अंकित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2018 के स्थान पर दिनांक 28.06.2018 पढ़ा जावे।***

यह आदेश मूल निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर